

तार/Grans: "भविष्यनिधि"/"BHAVISHYANIDHI"
ई मेल/e mail: sro.cuddapah@epfindia.gov.in

दूरभाष/ Tel.Nos .08562- 244189,244902
फैक्स/Fax: 08562-258164



कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार/Ministry of Labour and Employment, Govt. of India)

उप क्षेत्रीय कार्यालय/SUB REGIONAL OFFICE

1/30, रेलवे स्टेशन रोड, कडपा-4/Railway Station Road, Kadapa-4.

किराये पर आवश्यक कार्यालय आवास/ OFFICE ACCOMMODATION REQUIRED ON RENT

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन, जिला भविष्यनिधि कार्यालय, तिरुपति एवं नेल्लूर के लिए किराये पर आवास की आवश्यकता है। प्रस्तावित आवास लगभग 800 से 1000 स्वे.फी. वाला कार्पेट क्षेत्र का होते हुए अन्य आवश्यक सुविधाएं जैसे शौचालय, पीने का पानी, लिफ्ट (यदि प्रस्तावित स्थल दूसरे तल के उपर हो तो) , पार्किंग सुविधा युक्त होना जरूरी है।

इच्छुक पार्टियां अपने प्रस्ताव बंद लिफाफे में विस्तृत जानकारी के साथ प्रेषित करें जैसे प्रस्तावित प्लिंथ क्षेत्र एवं कार्पेट क्षेत्र का ब्यौरा देते हुए संबंधित साइट प्लान प्रस्तुत किया जाए, प्लिंथ क्षेत्र के लिए उद्धृत न्यूनतम किराया दर्शाया जाए, कम से कम पांच वर्ष के लिए पट्टा विलेख देने की सहमति एवं अन्य निबंधन व शर्तें। प्रस्ताव मालिक द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्वीकार्य उचित किराये के लिए कें.लो.नि.वि. से परामर्श करने के बाद किराया निर्धारित किया जाएगा। सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन भी आवेदन कर सकते हैं।

प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को 17.02.2012 के अपराहन 3:00 तक मिल जाने चाहिए। इस प्रयोजन हेतु गठित की जाने वाली समिति आवास की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु प्रस्तावित आवासों का वीक्षण करेगी। सक्षम प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वे किसी भी प्रस्ताव को बिना किसी कारण के अस्वीकार कर सकते हैं।

Suitable accommodation is required for occupation on rent basis for Employees' Provident Fund Organization, District P.F. Offices, at Tirupathi and Nellore. The proposed accommodation should have carpet area of about 800 to 1000 Sq.ft. with other necessary amenities/facilities like Toilets, Drinking water, lift (if offered place is above 2nd floor), parking facilities etc.

The interested parties may send their offers in sealed cover with detailed information i.e. plinth area and carpet area offered with site plan, minimum rent quoted for plinth area. Their willingness to lease the accommodation for not less than five years and to abide by other terms & conditions etc. The offer should be submitted by the owner himself. The rent will be finalized duly consulting CPWD for admissible fair rent. The Govt./Semi Govt. Organizations may also apply.

The offer should reach the undersigned by 3.00 PM on 17.02.2012. A committee will be constituted in this connection to visit the offered locations and submit its recommendations on the suitability of accommodation. The competent authority reserves the right to reject any offer without assigning any reason.

(बी.चन्द्रशेखर/B.CHANDRASEKHAR)

क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त.II

REGIONAL P.F. COMMISSIONER.II